शिक्षा विभाग, राजस्थान
शिविरा पंचांग: 2026–2027

राजस्थान के प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के अधीन समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों/विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए सत्र 2026–2027 का यह शिविरा पंचांग प्रस्तुत है। इसके अनुसार ही सत्रपर्यन्त विद्यालयी कार्यक्रम, अवकाश, परीक्षा, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का आयोजन अनिवार्य है। किसी विशेष अवसर अथवा कार्यक्रम पर यदि किसी संस्था प्रधान को कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, तो वह परिवर्तन सम्बन्धी निवेदन अपने क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–प्रारम्भिक/माध्यमिक को प्रस्तुत करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)–प्रारम्भिक/माध्यमिक मांग के औचित्य की जांच करेंगे तथा उनकी अनुशंषा पर निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर की स्वीकृति के बाद ही संस्था प्रधान द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

➢ सामान्य निर्देश :–

1. शिक्षण सत्रः 2026–2027 दिनांक 01 अप्रैल 2026 से आरम्भ है। सामान्य प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमित कक्षा शिक्षण 01 अप्रैल 2026 से ही प्रारम्भ है। 01 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 तक प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण होगा।
2. प्रवेश की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2026(कक्षा 9 से 12 तक) रहेगी।
3. व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में योजना का प्रचार प्रसार एवं नवीन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु काउंसलिंग कार्य **21 जून से 30 जून 2026 तक** किया जाएगा।
4. अनामांकित, ड्रॉप आउट एवं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रवेश सुनिश्चित किए जाएँगें।
5. मध्यावधि अवकाश 04 नवम्बर से 15 नवम्बर 2026 तक रहेगा।
6. शीतकालीन अवकाश 31 दिसम्बर, 2026 से 10 जनवरी, 2027 तक रहेगा।
7. ग्रीष्मावकाश 17 मई, 2026 से 20 जून, 2026 तक रहेगा।
8. वार्षिक परीक्षा/बोर्ड परीक्षा में अंतिम परीक्षा होने के उपरान्त विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाए।
9. केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए घोषित अवकाश विद्यालयों में भी मान्य होंगे।
10. यदि किसी क्षेत्र विशेष अथवा वर्ग विशेष/कारण विशेष को आधार बनाकर या किसी विशेष दिन का सेक्शनल/रीजनल अवकाश/स्थानीय अवकाश राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाये तो वह अवकाश सम्बन्धित वर्ग के विद्यालयों/उन विशिष्ट क्षेत्रों पर ही लागू होगा अन्य वर्ग के विद्यालयों पर उक्त अवकाश लागू नहीं रहेंगे।
11. शिविरा पंचांग एवं राजस्थान सरकार के पंचांग में उल्लेखित समान अवकाश की तिथि में कोई विसंगति हो तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के पंचांग की तिथि को सही मानते हुए इस पंचांग में वैसा ही संशोधन माना जाए।
12. सत्रारम्भ एवं सत्रान्त की संस्था प्रधान वाक्पीठ का आयोजन शिविरा पंचांग में निर्धारित अवधि में ही करवाया जाना आवश्यक होगा। उक्त आयोजन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
13. बाल सभाओं में वृहद और सामुदायिक बाल सभाओं में बाल संरक्षण के तहत बाल अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए तथा बाल विवाह के दुष्परिणाम व बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी दी जाए तथा सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जाए। इसी प्रकार पीटीएम व एसडीएमसी की बैठकों में भी जन समुदाय के साथ उक्त बाबत् चर्चा की जाए।
14. बाल–सभाओं/पीटीएम/एसएमसी/एसडीएमसी की बैठकों में "तम्बाकू निषेध क्षेत्र" , तम्बाकू मुक्त विद्यालय की गाईड लाईन तथा **COTPA ACT 2003** की जानकारी दी जाए ताकि विद्यालय व उसके आसपास का क्षेत्र तम्बाकू मुक्त रह सके।
16. समस्त विद्यालयों में 01 सितम्बर 2026 से 15 सितम्बर 2026 तक ''स्वच्छता पखवाडा'' अनिवार्य रूप से मनाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.31 21:47:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21349022

17. शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र (TAF) की प्रथम छःमाही डेटा प्रविष्ठि जुलाई से अगस्त–2026 तथा द्वितीय छःमाही डेटा प्रविष्ठि जनवरी से फरवरी–2027 (संभावित समय)
18. शाला–सिद्धि हेतु स्व मूल्यांकन हेतु संभावित समयावधि– जुलाई से अक्टूबर–2026 तथा बाह्य मूल्यांकन हेतु संभावित समयावधि–अगस्त से दिसम्बर 2026
19. CCE/SIQE/FLN हेतु रचनात्मक आकलन सतत् रूप से सत्र पर्यन्त किया जाएगा।
20. एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा जिसके तहत कक्षा 6 से 12 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को –IFA नीली गोली एवं कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक विद्यार्थी को IFA गुलाबी गोली खिलाई जाएगी।

➢ प्रवेश :–

1. कक्षा–1 में प्रवेश के समय राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रावधानानुसार विद्यार्थियों की आयु 6 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 7 वर्ष से कम वर्ष निर्धारित की गई है।
2. राज्य सरकार प्रवेश प्रक्रिया हेतु कोई निश्चित तिथि का निर्धारण कर सकती है। फिर भी आर.टी.ई. अधिनियम– 2009 के अनुसार बालक–बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश वर्ष पर्यन्त हो सकेगा।
3. राज्य कर्मचारी/माता–पिता/अभिभावक के स्थान परिवर्तन की स्थिति में स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र के आधार पर विद्यार्थी को मध्य सत्र में प्रवेश दिया जा सकेगा।
4. यदि परिस्थितिवश बोर्ड द्वारा रोके गये परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित किये जाते हैं, तो विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम की घोषणा के सात दिवस के भीतर प्रवेश दिया जाए। प्रवेश के समय ही विद्यार्थियो को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।
5. हाउस होल्ड सर्वे में आउट ऑफ स्कूल (OOSC) के रूप में चिन्हित बालक–बालिकाओं की मेनस्ट्रीमिंग हेतु अनामांकित बालक–बालिकाओं के माता–पिता/अभिभावकों से सम्पर्क कर उनका आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश कराना, उनके विशेष शिक्षण की आवश्यकता का आकलन करना एवं आवश्यकतानुसार संघनित पाठ्यक्रम के माध्यम से विशेष शिक्षण की व्यवस्था करना सुनिश्चित किया जाए।
6. ड्रॉपआउट, अनामांकित एवं विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में नामांकन पश्चात, विद्यालय में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का फंक्शनल असेसमेन्ट करवाया जाकर, पात्र बच्चों को समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क अंग–उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे एवं होमबेस्ड एज्युकेशन से जोड़े गये बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित किया जाए।
7. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं मेवात बालिका आवासीय/वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों मे अनामांकित एवं ड्रॉपआउट बालिकाओं को प्रवेश दिलवाया जाएगा। पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों (PEEO)की बैठक में चर्चा कर उनके सहयोग से परिक्षेत्र की पात्र बालिकाओं का उक्त विद्यालयों में प्रवेश करवाया जाए।
8. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप विद्यालय की कुल सीटों की 5 प्रतिशत सीटों पर विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को प्रवेशित किए जाने हेतु विशिष्ट प्रयास किए जाएं।

➢ प्रार्थना सभा :–

प्रार्थना सभा कार्यक्रम हेतु 25 मिनट का समय निर्धारित है, जिसमें की जाने वाली गतिविधियां – राष्ट्रगीत, प्रार्थना, योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, समाचार वाचन, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान आदि हैं। प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को प्रार्थना सभा में समस्त कार्मिक एवं विद्यार्थी तम्बाकू का उपयोग नहीं करने की शपथ लेंगे।

➢ विद्यालय प्रबन्धन :–

विद्यालय की व्यवस्था एवं प्रबन्धन, विद्यालय प्रबन्धन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SMC/SDMC) द्वारा किया जाएगा। विद्यालय के सुचारु संचालन के लिए समग्र शिक्षा अभियान द्वारा निम्न सुविधाएं प्रदान की जाएगी :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.31 21:47:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21349022

1. राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में सामान्य शैक्षिक, सह–शैक्षिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिए जाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के कम्पोजिट स्कूल ग्रांट दिशा–निर्देश पत्रांक : रास्कूशिपा/जय/वै.शि./ /CSG दिशा–निर्देश/2020–21/13763 दिनांक : 17.08.2020 के अनुसार छात्र संख्या के आधार पर किए गए वित्तीय प्रावधानों के अनुसार इस राशि में से 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु निर्धारित की गई है। उपर्युक्त आदेश के तहत शौचालय/मूत्रालयों की साफ–सफाई, पेयजल सुविधा के रख–रखाव तथा मध्याह्न भोजन से पूर्व साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था एवं स्वच्छता हेतु स्वच्छता अनुदान राशि का उपयोग किया जाए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी की "शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम" के अन्तर्गत स्वास्थ्य जाँच की जाए तथा रिकॉर्ड संधारित किया जाए।
3. अगस्त–2026 से सितम्बर–2026 तक आयोज्य SMC/SDMC प्रशिक्षण में समिति के सदस्यों के सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

➢ कालांशवार विभाजन :–

ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवधि में विद्यालय संचालन समयानुरूप अग्रांकित विवरणानुसार कालांशवार 8 कालांश हेतु रहेगा। प्रार्थना सभा तथा मध्यान्तर, प्रत्येक हेतु 25 मिनट का समय निर्धारित है। मध्यान्तर चौथे कालांश के पश्चात होगा।

समय सारिणी :–

1. एक पारी विद्यालयों हेतु समय सारिणी निम्नानुसार होगी :

क्र.सं.	विवरण	ग्रीष्मकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश विभाजन	शीतकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश विभाजन
1	समयावधि	1 अप्रेल से 30 सितम्बर	1 अक्टूबर से 31 मार्च
2	विद्यालय समय	7:30 बजे से 1:00 बजे तक (कुल 5:30 घंटे) (प्रत्येक कालांश 35 मिनट)	10:00 बजे से 4:00 बजे तक (कुल 6:00 घंटे) (01 से 06 कालांश 40 मिनट तथा 07 से 08 कालांश 35 मिनट)

नोट :– शैक्षिक गुणवत्ता एवं मनोविज्ञान के मद्देनजर कालांशों में विषय आवंटन काठिन्य स्तर के आधार पर इस प्रकार किया जाए कि अपेक्षाकृत कठिन विषय के बाद सरल विषय का कालांश हो। यथासंभव मुख्य विषयों का शिक्षण प्रथम छः कालांश में किया जाए। जहाँ तक संभव हो, समस्त विद्यालय एक पारी में चलाए जाएंगे। जो विद्यालय वर्तमान में दो पारी में चल रहे हैं तथा विद्यालय की परिस्थितिवश आगामी सत्र में भी दो पारी/ आंशिक दो पारी में संचालन आवश्यक है, उनके संस्था प्रधान औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–प्रारम्भिक/ माध्यमिक को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)– प्रारम्भिक/ माध्यमिक परीक्षणोपरांत स्पष्ट अनुशंसा सहित जिले के समेकित प्रस्ताव सम्भागीय संयुक्त निदेशक को 15 अप्रैल 2026 तक प्रस्तुत करेंगे तथा सम्भागीय संयुक्त निदेशक सम्पूर्ण परिक्षेत्र के प्राप्त प्रस्तावों पर विभागीय निर्देशों के अनुरूप गुणावगुण के आधार पर 30 अप्रैल 2026 तक सकारण आदेश जारी कर निदेशालय (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को अवगति प्रदान करेंगे। प्रतिदिन 08 कालांश हेतु समय विभाग चक्र तैयार किया जाएगा। प्रार्थना सभा (मय योगाभ्यास) तथा मध्यान्तर प्रत्येक 25 मिनट के होंगे। मध्यान्तर चौथे कालांश के पश्चात् होगा।

2. दो पारी में संचालित विद्यालयों का समय :–

क्र.सं.	अवधि	विद्यालय संचालन का समय
I.	1 अप्रेल से 30 सितम्बर तक	प्रातः 7:00 से सांय 6:00 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.30 घंटे) (प्रत्येक कालांश 35 मिनट)
II.	1 अक्टूबर से 31 मार्च तक	प्रातः 7:30 से सांय 5:30 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.00 घंटे) (01 व 05 वा कालांश 35 मिनट शेष सभी कालांश 30 मिनट)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.31 21:47:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21349022

1. दो पारी विद्यालयों का कक्षा स्तर अनुसार संचालन निम्नांकित पारी क्रम में किया जाए :–

क्र0सं0	विद्यालय का प्रकार	पारी	पारी क्रम
1.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 1 से 8
2.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 6 से 8
3.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 11 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 9 से 10
4.	माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 10)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 6 से 10 द्वितीय पारी कक्षा 1 से 5
5.	माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 10)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 10 द्वितीय पारी कक्षा 6 से 8

2. दो पारी विद्यालय के संस्था प्रधान का समय प्रातः 10:00 से सायं 5:00 बजे तक रहेगा तद्नुसार विद्यालय कार्यालय का समय भी उक्तानुसार ही रहेगा। वे अपने स्तर पर स्वेच्छा से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे।
3. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए की प्रत्येक विद्यार्थी पुस्तकालय की सुविधा से लाभान्वित हो, अतः रोटेशन के आधार पर प्रति सप्ताह प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया जाए।
4. यदि एक ही शाला परिसर में दो विद्यालय संचालित हो तथा दो पारी में संचालन की स्वीकृति प्राप्त हो, तो उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रथम पारी में तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वितीय पारी में संचालित होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)– प्रारम्भिक/माध्यमिक अपने स्तर पर इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। समन्वित विद्यालय, जो दो या दो से अधिक परिसर में संचालित हैं, में समान स्तर की समस्त कक्षाएं एक ही समय में (समान पारी में) संचालित की जाएगी।

➢ सहशैक्षिक गतिविधियां :–

1. समस्त सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन विभागीय निर्देशों के अनुरूप किया जाए।
2. सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ''चाईल्ड राईट्स क्लब, वन एवं पर्यावरण क्लब, विज्ञान क्लब, रोड सेफ्टी क्लब एवं टूरिज्म क्लब व निदेशालय द्वारा समय–समय पर जारी क्लब गठन संबंधी निर्देशों के अनुरूप क्लब की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाए तथा इनसे संबंधित गतिविधियों का संचालन आवश्यक रूप से किया जाए। तम्बाकू नियंत्रण हेतु TOBACCO MONITOR विभागीय निर्देशानुसार बनाए जाएं ।
3. सभी विद्यालय वार्षिक कार्यक्रम समग्र शिक्षा द्वारा घोषित तिथियों के अनुसार मनाएंगे। विद्यालयों को अपनी प्रतियोगिताएं/समाजोपयोगी उत्पादक कार्य (SUPW) एवं समाज सेवा शिविर/वार्षिक उत्सव सहित अन्य गतिविधियां यथा–उत्कृष्ट उपलब्धि प्रदान करने वाले संस्था प्रधान/शिक्षक एवं विद्यार्थियों को पुरस्कार इत्यादि इससे पूर्व समयावधि में समाप्त करनी होगी। इसके बाद उच्चतम कक्षाओं के संक्षिप्त विदाई समारोह (आशीर्वाद एवं अभिवादन समारोह) एवं ''सखा–संगम'' जैसे कार्यक्रम ही आयोजित किए जा सकते हैं। समस्त विद्यालयों में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य (SUPW) एवं समाज सेवा शिविर के दौरान गांधी जी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता सम्बन्धी गतिविधियों को सहज प्रवृत्ति एवं दैनिक वृत्ति के रूप में अंगीकार करने की सीख के विशेष संदर्भ में दैनिक जीवन में "स्वच्छता एवं साफ–सफाई की अनिवार्यता" विषयक उद्बोधन तथा सामूहिक श्रमदान द्वारा विद्यालय परिसर के सौंदर्यकरण एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधियां अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जाए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.31 21:47:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21349022

4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा संचालित विद्यालय आधारित मूल्यांकन योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 एवं 10 के लिए विद्यालय में संचालित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति में प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेना अनिवार्य होगा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास हेतु सुविधानुसार आयोजित प्रवृत्तियों में से प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम दो प्रवृत्तियों में भाग लेना अनिवार्य होगा।

1. समस्त विद्यालयों मे "विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC)" एवं "विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC)" की बैठकें अनिवार्य है। अपरिहार्य कारणों एवं अवकाश होने की स्थिति में उपरोक्त दिनांक पर कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सके तो उसके अगले दिन कार्यक्रम का आयोजन किया जावे। "विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC)" एवं "विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC)" की प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली बैठकों को उद्देश्यपरक बनाने, सफल संचालन एवं मॉनिटरिंग हेतु **वर्ष 2026–27 में SMC / SDMC की माह अगस्त, सितम्बर एवं दिसम्बर में आयोजित की जावे।**

➢ प्रबोधन एवं प्रबन्धन :–

1. एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अन्तर्गत 30 सितम्बर के आधार पर जिले के राजकीय / केन्द्रीय / निजी आदि समस्त विद्यालयों, जिनमें कक्षा 1–12 तक के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, शैक्षिक नियोजन की दृष्टि से उनकी विभिन्न सूचनाएं, यथा विद्यार्थियों / शिक्षकों / विद्यालयों की श्रेणीवार संख्या आदि संकलित की जाए। सभी शिक्षक / संस्था प्रधान यू–डाईस सूचना संकलन प्रपत्र की समय पर पूर्ति सुनिश्चित करें।
2. कल्प कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब का रख–रखाव विद्यालय को समग्र शिक्षा अभियान से उपलब्ध कराई जा रही स्कूल फैसिलिटी ग्राण्ट / मैन्टीनेन्स ग्राण्ट से विद्यालय द्वारा करवाया जाए एवं लैब को सुरक्षित रखते हुए विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु प्रति सप्ताह अधिकतम दो–दो कालांश प्रति कक्षा लगवाए जाएं एवं विद्यालय में उपलब्ध ई–कन्टेन्ट (विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी) द्वारा सम्बलन प्रदान किया जाए।

➢ गुणवत्ता एंव प्रशिक्षण प्रकोष्ठ

- **प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रमः** बच्चों के पठन कौशल को मजबूत करने के लिये मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत राज्य स्तर पर ''प्रखर राजस्थान 2.0'' कार्यक्रम शुरू किया गया है।
  - यह 90 दिवसीय अभियान विद्यालयों में बेहतर शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करता है और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देता है।
  - पठन कौशल के निरंतर अभ्यास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिये शिक्षक आयु–उपयुक्त पठन सामग्री , आदर्श पठन गतिविधि, वर्ण –शब्द पहचान का अभ्यास और छोटे वाक्य / कहानी पढने का सामूहिक अभ्यास जैसी गतिविधियॉ संचालित की जा रही है।
  - सुनियोजित शिक्षा शास्त्र(structured pedagogy) पर आधारित साप्ताहिक पाठ योजना विकसित की गई है और शिक्षक ऐप के माध्यम से साझा की जा रही है।
  - माता –पिता को भी अपने बच्चों के साथ रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट पढने, सुनने और शब्द उच्चारण का अभ्यास करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- **मेगा पीटीएम (Parent & Teacher Meeting)** राज्य के सभी स्कूलों में दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को ''प्रखर राजस्थान 2.0'' कार्यक्रम के तहत एक मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया ।
  - इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, पठन कौशल की स्थिति और सीखने की चुनौतियों को माता –पिता के साथ साझा करना था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.31 21:47:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21349022

- इस राज्यव्यापी प्रयास में लगभग 47 लाख 80 हजार माता –पिता ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो बच्चों की शिक्षा के प्रति समुदाय और परिवारों की गंभीरता और सकारात्मक भागीदारी को दर्शाता हैं
- इस पीटीएम के माध्यम से घर, समुदाय और स्कूल के बीच सहयोग मजबूत हुआ, जिससे पठन कौशल और सीखने के माहौल में और सुधार हुआ।
- शासन स्तर से प्रदत्त निर्धारित तिथि के अनुरूप मेगा पीटीएम**(Parent & Teacher Meeting)** आयोजित किया जाना प्रस्तावित।

- **निपुण भारत मिशन के तहत निपुण राजस्थान कार्यक्रमः–**मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशलों को मजबूत करने को मजबूत करने के लिये दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को निपुण राजस्थान कार्यक्रम शुरू किया गया ।
  - इस कार्यक्रम के माध्यम से संख्या की समझ, जोड और घटावा जैसे बुनियादी गणितीय कौशल के साथ–सा अक्षर पहचान, सरल शब्द पढना, वाक्य पढना और लेखन कौशल विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।
  - शिक्षकों को शैक्षणिक सामग्री जैसे –सुदृढ शिक्षा शास्त्र आधारित पाठ योजना, पाठयपुस्तक आधारित कक्षा अभ्यास और सतत आकलन संबंधित सामग्री प्रदान की जा रही हैं
  - शासन स्तर से प्रदत्त निर्धारित तिथि के अनुरूप **निपुण भारत मिशन के तहत निपुण राजस्थान कार्यक्रम** आयोजित किया जाना प्रस्तावित।

- **PRABAL कार्यक्रम** : यह राजस्थान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा–9 से 12 के विद्यार्थियों के लिये 21 वीं सदी के अनुकूलनशील जीवन कौशल को पहचानने और विकसित करने का राज्य स्तरीय कार्यक्रम है।
  - उद्देश्य किशोर विद्यार्थियों को 21 वीं सदी के जीवन कौशल, नेतृत्व कौशल, नागरिकता कौशल और भविष्य के करियर कौशल के साथ सशक्त बनाना।
  - PRABAL कार्यक्रम का राज्य स्तरीय आयोजन 15 दिसम्बर 2025 को राजस्थान विधानसभा में किया गया। जिसमें समस्त जिलों से 158 विद्यार्थियों द्वारा चर्चा में भाग लिया गया ।
  - शासन स्तर से प्रदत्त निर्धारित तिथि के अनुरूप **PRABAL कार्यक्रम** आयोजित किया जाना प्रस्तावित।

➢ आई.सी.टी एवं डिजिटल पहल(ICT and Digital Initiative)

A. आई.सी.टी कम्प्यूटर लैब का संचालन एवं रख–रखाव (विद्यालय स्तर)

- प्रतिदिन कम्प्यूटर लैब का उपयोग जरूर हो जिससे समस्त उपकरण क्रियाशील रहे।
- प्रत्येक विद्यार्थी को कम्प्यूटर कक्ष के उपयोग का अवसर दें और सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान दिया जावे एवं कम्प्यूटर के माध्यम से विषय शिक्षण करवाया जावे।
- यदि उपकरण वारन्टी या गारन्टी में हो तो संबंधित सेवा प्रदाता कम्पनी से दूरभाष/ई–मेल इत्यादि पर सम्पर्क कर उपकरण ठीक करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- कम्प्यूटर लैब उपकरणों का बीमा करवायें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.31 21:47:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21349022

- जिन विद्यालयों में राजकीय कम्प्यूटर अनुदेशक पदस्थापित है उनमें लैब संचालन के कार्य का निर्वहन राजकीय अनुदेशक द्वारा किया जाना सुनिश्चित करावें।
- **आई.सी.टी लैब वाले विद्यालयों में समय विभाग चक्र में सभी कक्षाओं को कम्प्यूटर लैब हेतु कालांश निर्धारित कराये जावे।**

B. <u>विद्यार्थियों हेतु पाठ्य सामग्री उपलब्धता (e- education)</u>

- संचालित आई.सी.टी कम्प्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम तथा रोबोटिक्स लैब हेतु लैब प्रभारी की नियुक्ति की जावे।
- जिन विद्यालयों में राजकीय बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक/वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक कार्यरत है। उन विद्यालयों में उन्हे लैब प्रभारी नियुक्ति किया जावे।
- जिन विद्यालयों में राजकीय बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक/वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक कार्यरत नहीं है उन विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर विज्ञान संकाय के व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान/गणित/अन्य शिक्षक) को लैब प्रभारी नियुक्त किया जावे।
- लैब प्रभारी विद्यालय में आईसीटी कम्प्यूटर लेब, स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से e-kaksha channel/e-content/Mission Gyan e-content Apps/Youtube channel/Hard drive/Diksha RISE Portal पर उपलब्ध ई–कंटेन्ट से विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य का सम्पादन करेंगे।
- लैब प्रभारी के द्वारा रजिस्टर मे लैब के प्रयोग से संबंधित e-kaksha channel/e-content/Mission Gyan e-content Apps/Youtube channel/Hard drive/Diksha RISE Portal आदि का उपयोग विद्यार्थियों द्वारा किये जाने का दिनांक, कक्षा एवं कालांश एवं विषय का रिकार्ड रजिस्टर का संधारण किया जाना है।
- लैब प्रभारी द्वारा कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों को Word, Spread sheet (Excel), Power point presentation, Internet एवं ई–मेल इत्यादि से संबंधित जानकारी दी जानी है।
- लैब प्रभारी द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर "**आई.सी.टी. लैब स्टेटस मॉडयूल**" की पूर्ति की जानी है।

C. <u>रोबोटिक लैब्स(Robotics Labs)</u>

इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ रोबोटिक्स लैब बुनियादी घटकों, सेंसर, इनपुट, आउटपुट, तार, कनेक्टर, यांत्रिक सामान सहित इलेक्ट्रोनिक सामग्री और कोडिंग के साथ बुनियादी प्रोजेक्ट बनाने के लिये यह कार्यक्रम वर्तमान में 501 विद्यालयों में संचालित हैं ।

- इस परियोजना में इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, आर्टिफिशियल, इटेंलिजेंसी, मशीन लर्निगं एवं आईटी संबंधित विभिन्न उपकरणों एवं सेसर के उपयोग का सामान्य ज्ञान विद्यार्थियों को दिये जाने की योजना है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थी नवीन वैज्ञानिक तकनीकी को आत्मसात कर सकेगा।
- वास्तविक सर्किट, सिमुलेशन और रियल–टाईम प्रोटोटाइप को सक्षम करने के लिये विचार, डिजाईन और कम्प्यूटेशनल सोच के तत्वों को समझने में विद्यार्थी सक्षम हो सकेंगे।
- **ए.आई/एम.एल डिजिटल प्रोग्राम** AI-ML लैब जिसमें AI लर्निंग, डेटा, Data visualization समस्या समाधान और निर्णय लेने, AI भाषायें, नैतिकता और AI का परिचय शामिल है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.31 21:47:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21349022

D. मिशन स्टार्ट (Mission START)

Mission Start (support for teaching with advance Remedial Techniques)

कार्यक्रम का उदेश्य एवं अपेक्षाऐं :–

- विद्यालयों में कम्प्यूटर हार्डवेयर (आईसीटी लैब/स्मार्ट टीवी/आईएफपीडी /प्रोजेक्टर आदि) का आंकलन किया जाकर उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाना है।
- ई–कन्टेन्ट हेतु हार्ड ड्राईव का प्रबन्ध करना तथा सभी विषयों का ई–कन्टेंट उपलब्ध करवाना एवं ई–कन्टेंट की मैपिंग करना ।
- विद्यालयों में उपलब्ध इन्टरनेट का समुचित उपयोग कर ई–कक्षा का संचालन सुनिश्चित कराना।
- प्रत्येक विद्यालय में ई–कक्षा हेतु साप्ताहिक समय–सारणी तैयार करना(शाला दर्पण पोर्टल पर प्रति शनिवार अपलोड किया जाना) ताकि कम्प्यूटर हार्डवेयर का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।
- इस पूरी प्रक्रिया का समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन करना तथा शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्रबोधन करना।
- **समग्र रूप से आईसीटी योजनान्तर्गत निम्न उपकरण स्थापित किये जाते है/जा रहे हैं :–**

विद्यालयों में आईसीटी योजनान्तर्गत विभिन्न नवाचारों का विवरण			
ICT Labs (13411 School)	**Smart Class (13018 School)**	**Robotics (501 School) & ATL Labs**	**Digital Library (PM Shri Schools)**
10 Computer 1 UPS Furniture & Electrification उक्त उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा एवं कम्प्यूटर से विषयवस्तु का शिक्षण कराया जाता है।	IFPD-(Interactive Flat Panel Display/Smart TV) & e-content in Hard Drive के द्वारा विद्यार्थियों को विषयवस्तु का शिक्षण आवश्यकतानुसार करवाया जाता है।	Robot Drone 3 D Printer &Electrical-Mechanical Kit & various sensors द्वारा आर्टिफिशिअल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग (AI-ML लैब) एव आईटी संबंधित विभिन्न उपकरणों एवं सेंसर्स के उपयोग का सामान्य ज्ञान विद्यार्थियों को दिया जाता है।	4.5 Computers 1 Printer 1UPS Furniture & Electrification के साथ इंटरनेट सुविधा द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से विषय के अतिरिक्त आयामों पर भी जानकारी प्राप्त करने के लिए पीएमश्री विद्यालयों में स्थापित की जा रही है।

➢ उत्सव एवं अवकाश :–

1. प्रत्येक माह में अंकित उत्सव अनिवार्यतः मनाए जाएँ।
2. शिविरा पंचांग में अंकित जयंतियां/उत्सव **प्रार्थना सभा व प्रथम कालांश** में ही आयोजित किये जाएँ।
3. विभाग स्तर से जारी निर्देशों के अनुरूप किसी भी सप्ताह में आने वाले वृहद उत्सवों/कार्यक्रमों को आगामी **द्वितीय/चतुर्थ शनिवार (No bag day)** के अन्य कार्यक्रम के साथ मनाया जाएँ।
4. 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं 02 अक्टूंबर को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की स्वयं के विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.31 21:47:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21349022

5. 02 अक्टूबर का उत्सव उसी दिन ही मनाया जाए। इस दिन विद्यार्थियों द्वारा महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित नाटक, कविता, अभिनय आदि गतिविधियां/क्रियाकलाप करवाए जाएं। गांधीजी के जीवन तथा गांधी दर्शन से सम्बन्धित डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्में अथवा अन्य संदर्भ साहित्य से सम्बन्धित दृश्य सामग्री का प्रदर्शन विद्यार्थियों द्वारा गांधीजी के जीवन चरित्र एवं मूल्यों से प्रेरणा ग्रहण करने के उद्देश्य से करवाया जाए।
6. मध्यावधि अवकाश, शीतकालीन अवकाश तथा ग्रीष्मावकाश में विद्यालयों के मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी केवल राजपत्रित अवकाश का ही उपभोग करेंगे।
7. **प्रत्येक संस्था प्रधान इस पंचांग में निर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त सत्र में केवल 01 दिवस का अवकाश घोषित कर सकते हैं। संस्था प्रधान इसकी सूचना 30 अप्रैल 2026 से पूर्व नियन्त्रण अधिकारी को भेजें। अवकाश हेतु दिवस का चयन करते समय यह ध्यान रखा जावे कि महत्वपूर्ण विद्यालयी कार्यक्रम अप्रभावित रहें।**
8. जिला कलक्टर द्वारा घोषित अवकाश सम्बन्धित जिले के विद्यालय में मान्य होंगे।

मूल्यांकन एवं परीक्षा :–

1. प्रथम परख, द्वितीय परख एवं तृतीय परख का आयोजन निम्नानुसार किया जाना है।

क्र.सं	कालांश	विवरण
01	प्रथम व द्वितीय कालांश	शिक्षण कार्य
02	तृतीय व चतुर्थ कालांश	परख का आयोजन
03	पंचम व षष्ठम कालांश	शिक्षण कार्य
04	सप्तम व अष्टम कालांश	परख का आयोजन

2. कक्षा – 6 से 12 की परख, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षाएं (कक्षा–8 की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र परीक्षा तथा कक्षा–5 की प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय एवं कक्षा – 10 एवं 12 में वार्षिक परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा परीक्षा ली जाएगी) इस पंचांग के अनुसार सम्पन्न की जाए तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा तथा विद्यार्थियों को प्रगति पत्रों का वितरण 25 मार्च 2027 को अनिवार्य रूप से कर दिया जाए।
3. कक्षा – 1 से 5 के अन्तर्गत CCE के तहत तीन योगात्मक आकलन अग्रांकित विवरणानुसार सम्पादित किए जाएंगे :–

टर्म	पाठ्यक्रम विभाजन	योगात्मक आकलन आयोजन माह
प्रथम	लगभग 45 %	अगस्त 2026(अंतिम सप्ताह)
द्वितीय	लगभग 35 %	नवम्बर – 2026(अंतिम सप्ताह)
तृतीय	लगभग 20 %	मार्च 2027(प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा 2026 से पूर्व

4. सभी स्तर के विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के लिए क्रमशः एक तथा दो दिवसों का परीक्षा तैयारी अवकाश रहेगा। इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे और अध्यापक एवं मंत्रालयिक कर्मचारी परीक्षा के अभिलेख तथा व्यवस्था संबंधित कार्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार एवं अन्य राजपत्रित अवकाश छोड़कर किया जाएगा।
5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा। उक्त अवधि में विद्यार्थियों हेतु आवश्यकतानुसार विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाए।
6. एस.आई.क्यू.ई./सी.सी.ई. संचालित समस्त विद्यालयों में पारम्परिक प्रक्रिया से मूल्यांकन न होकर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से ही मूल्यांकन किया जाएगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.31 21:47:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21349022

7. विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग के परिपत्र क्रमांक : प.14 (3) प्राशि/आयो/2014, जयपुर, दिनांकः 27.10.2014 की पालना की जाए।

➢ पूरक परीक्षा :–

आगामी सत्र 2026–27 में माध्यमिक शिक्षा के अधीन कक्षा 9 एवं 11 की पूरक परीक्षाओं का आयोजन अप्रैल माह के द्वितीय सप्ताह में किया जावे। परीक्षा परिणाम 15 अप्रैल 2027 से पूर्व आवश्यक रूप से घोषित कर प्रगति पत्र वितरित कर दिए जाएं।

➢ "No Bag Day" –

1. "No Bag Day" का उद्देश्य विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं अन्तर्निहित क्षमताओं को पहचान कर अध्ययन अध्यापन के पारम्परिक तरीकों से इत्तर सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखने–सिखाने की प्रक्रिया को आनन्ददायी बनाना है। **"No Bag Day" माह के प्रत्येक द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को मनाया जाना है।** उक्त संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगें।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत आवंटित टास्क संख्या 147 की क्रियान्विति के क्रम में **"No Bag Day"** पर प्रत्येक पीईईओ/यूसीईईओ परिक्षेत्र में स्थानीय स्तर पर अपने क्षेत्र विशेष में दक्षता रखने वाले व्यक्तियों को विद्यालय से जोडकर विद्यार्थियों को उनके अनुभव का लाभ दिये जाने हेतु **"No Bag Day"** दिवस पर 1 घण्टे का सामूहिक सत्र आयोजित किया जाना है, इस हेतु निम्नांकित दिशा निर्देशों के अनुरूप क्षेत्र विशेष में दक्ष एवं अनुभव रखने वाले स्थानीय स्तर पर विविध क्षेत्रों से जुडे व्यक्तियों की पहचान की जाए एवं सूची बनाकर पीईईओ/यूसीईईओ द्वारा सत्र भर का कार्यक्रम निश्चित किया जावे।
   (i) स्थानीय स्तर के लोक/शिल्प कलाकार जैसे बढई, लौहार, रंगरेज, कलाकार आदि कृषि कार्य से जुडे हुए व्यक्तियों को Master Instructor के रूप में आमंत्रित किया जावे।
   (ii) व्यापारी अथवा क्षेत्र विशेष के प्रतिभा संपन्न सेवानिवृत व्यक्तियों को आमंत्रित किया जावे।
   (iii) बच्चों के नैतिक विकास के लिये क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर किसी समाज सेवक, विचारक अथवा उपदेशक के साथ–साथ किसी प्रेरणादायी व्यक्ति जैसे प्रशासनिक अधिकारी, डिफेन्स के अधिकारी अथवा बैंक, डाकघर, अस्पताल आदि के अधिकारियों व कार्मिकों, ग्राम सेवक, पटवारी एवं सरपंच आदि को आमंत्रित किया जावे।
   (iv) Master Instructor द्वारा उनके संबंधित विभाग/कार्यक्षेत्र की जानकारी से बच्चों को लाभान्वित किया जाए एवं उनके कार्यो के संबंध में प्रयुक्त औजार एवं प्रक्रिया की भी सामान्य जानकारी दी जा सकती है।
   (v) स्थानीय स्तर पर व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले उक्त व्यक्तियों को स्व प्रेरणा के आधार पर विद्यालय से संबद्ध किया जाना है। इस हेतु इन्हे किसी मानदेय अथवा राशि का भुगतान नही किया जाना है।
   (vi) विद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्व वार्षिकोत्सव के दौरान के दौरान Master Instructor को इनकी सेवाओ के लिये सम्मानित किया जावे।
   (vii) पीईईओ स्तर पर सत्र भर के लिये स्थानीय व्यक्तियों की सूची बनाकर कार्यक्रम निश्चित किया जावे।
3. "No Bag Day" के साथ बालिका शिक्षा के तहत किशोरी सशक्तीकरण की गतिविधियां(मीना राजू मंच एवं गार्गी मंच का संचालन) (कक्षा 6 से 12 के समस्त नामांकित विद्यार्थी)
4. विद्यालय में स्वच्छता को बढावा देने हेतु एवं विद्यार्थियों में स्वच्छता का भाव लाने के उददेश्य से कक्षा 7 एवं उसके उपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक दूसरे नो–बैग डे के दिन लगाये गये पौधों की सार –संभाल करेंगें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.31 21:47:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21349022

5. यह दिवस विद्यालय के कार्य दिवसों में गिना जाएगा लेकिन विषयवार कालांश निर्धारण अलग से जारी किया जाएगा।
6. 15 अगस्त, 26 जनवरी व 2 अक्टूबर के अतिरिक्त शिविरा पंचांग में दर्शाए गए/मनाए जाने वाले समस्त उत्सव जयन्तियां सम्मिलित है। शिविरा पंचांग में सम्मिलित अग्रांकित गतिविधियों/कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के आयोजन "No Bag Day" हेतु निर्धारित समय सारिणी में से 40 मिनट का समय निकालकर विद्यालय संचालन के अंतिम समय में आयोजित किए जाएंगे। 15 अगस्त, 26 जनवरी तथा 02 अक्टूबर के उत्सव पूर्व की भांति उसी दिन को ही मनाए जाएंगे।
7. सम्पूर्ण सप्ताह (सोमवार से रविवार) के दौरान पड़ने वाले उत्सवों/जयंतियों का विधिवत आयोजन प्रार्थना सभा व प्रथम कालांश में ही किया जावे। सप्ताह में अन्य कोई बडा कार्यक्रम आयोजित किया जाना हो तो आगामी "बस्ता मुक्त दिवस" (द्वितीय व चतुर्थ शनिवार) को समारोहपूर्वक किया जाए, जिसके लिए रूप रेखा का निर्माण एवं पूर्व तैयारी सम्बन्धित शिक्षकों एवं आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले विद्यार्थियों द्वारा उक्त शनिवार से पूर्व की जाए।
8. **बस्ता मुक्त दिवस** मनाए जाने के कारण समस्त बाल सभाएं, मासिक स्टाफ बैठक, अभिभावक–शिक्षक बैठक(PTM), SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक , मीना–राजू/गार्गी मंच की बैठक इत्यादि कार्यक्रम भी **"बस्ता मुक्त दिवस" (द्वितीय व चतुर्थ शनिवार)** के अवसर पर आयोजित किया जाए। माह के अंतिम शनिवार को उत्सव/जयन्ती/बाल सभा आयोजित करने के उपरान्त समस्त राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा 40 मिनट स्वैच्छिक श्रमदान किया जाएगा।
9. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर तथा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (RSCERT), उदयपुर तथा विभिन्न अभिकरणों इत्यादि एवं विभाग द्वारा समय–समय पर विद्यार्थियो में सृजनात्मक कौशल विकास तथा वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं अभिरूचि विकास के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगिताएं विद्यालय स्तर पर शनिवार को ही आयोजित करवाई जाएं।
10. **"बस्ता मुक्त दिवस"** (द्वितीय व चतुर्थ शनिवार) के अवसर पर आयोजित होने वाले उत्सवों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सहशैक्षिक गतिविधियों यथा–खेलकूद, वाद–विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबन्ध–लेखन इत्यादि के आयोजन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
11. प्रतिमाह एक बाल सभा में गांधीजी द्वारा प्रतिपादित "बुनियादी शिक्षा की अवधारणा" का ज्ञान विद्यार्थियों को देते हुए पारम्परिक घरेलू कुटीर उद्योग का व्यावहारिक प्रदर्शन करवाया जावे, जैसे मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाना, तकली कातना, चरखे का उपयोग इत्यादि। इस हेतु विद्यालय के आस–पास से आर्टिजन को विद्यालय में आमंत्रित किया जाकर प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने का प्रयास किया जाए।
12. विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को सहशैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित किया जाए।
13. समग्र शिक्षा अन्तर्गत संचालित निम्नांकित दूरगामी और नियमित गतिविधियों (शनिवारीय/गैर शनिवारीय) का संचालन निम्नानुसार किया जावे।

समावेशी शिक्षा प्रकोष्ठ

क्र.सं	क्रियाक्लाप	आयोजन माह
01	विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित हो।	जून से जुलाई 2026
02	विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस	02 अप्रैल 2026
03	विश्व मानसिक स्वास्थय दिवस	10 अक्टूबर 2026
04	विश्व विशेष योग्यजन दिवस	03 दिसम्बर 2026

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.31 21:47:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21349022

सामुदायिक गतिशीलता प्रकोष्ठ

क्र.सं	क्रियाक्लाप	आयोजन माह
01	एस.एम.सी./एस.डी.एम.सी प्रशिक्षण में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहन।	04 जनवरी 2026
02	के.आर.पी प्रशिक्षण (SMC/SDMC)	अगस्त 2026
03	आर.पी प्रशिक्षण(SMC/SDMC)	अगस्त –सितम्बर 2026

बालिका शिक्षा

क्र.सं	गतिविधि/क्रियाकलाप का नाम	विवरण	आयोजन अवधि
01	किशोरी सशक्तिकरण की गतिविधियां मीना राजू मंच एवं गार्गी मंच का संचालन ।	कक्षा 6 से 12 के समस्त नामांकित विद्यार्थी	नो बैग डे के साथ
02	अन्तराष्ट्रीय बालिका दिवस	समस्त नामांकित बालिकाऐं	11 अक्टूबर 2026
03	राष्ट्रीय बालिका दिवस	समस्त नामांकित बालिकाऐं	24 जनवरी 2027

U-DISE

- सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों को एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडाईस प्लस) पोर्टल (www.udise plus.gov.in)पर विद्यालय, शिक्षक एवं विद्यार्थियों की सूचना अपडेट किया जाना सुनिश्चित करेंगें।
- राज्य में संचालित सभी पोर्टल यथा–शाला दर्पण, पीएसपी पोर्टल एवं यूडाईस पोर्टल पर सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों का यूडाईस कोड समान व अद्वितीय होना सुनिश्चित करावें।

प्रबोधन एवं प्रबन्धन

सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली(यूडाइस प्लस) के अन्तर्गत निम्न कार्य किया जाना सुनिश्चित करेंगें:–

- सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों को एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडाइस प्लस) के अन्तर्गत पोर्टल (www.udise plus.gov.in) पर नवीन सत्र 2026–2027 की डाटा फिडिंग प्रारंभ होने के उपरान्त एक माह में या 31 जुलाई (जो भी पहले हो) तक सभी विद्यार्थियों को वर्ष 2025–2026 का परीक्षा परिणाम व उपस्थिति का इन्द्राज कर प्रोग्रेसन का कार्य आवश्यक रूप से पूर्ण करना है।
- सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों को टीसी के माध्यम से विद्यालय छोडकर जाने वाले/लगातार अनुपस्थित होने के कारण विद्यालय छोडने वाले विद्यार्थियों को यूडाइस प्लस पोर्टल पर ड्रॉप–बॉक्स में भिजवाना सुनिश्चित करेंगें।
- सभी नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों का ड्रॉप–बॉक्स में से इम्पोर्ट कर अपने विद्यालय में जोडना है।
- यूडाइस पर विद्यार्थी जिनका अपार बना हुआ है तथा विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में उपलब्ध है, को अनामांकित मानते हुए विद्यालय में पुनः प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.31 21:47:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21349022

14. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा वार निर्धारित स्कूल निर्वाचन क्लब ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार निम्नांकित गतिविधियों का संचालन किया जाना है:'

क्र. सं	माह	कक्षा	गतिविधि का नाम	सन्दर्भ / विशेष विवरण
01	अप्रैल 2026	09, 10, 11 व 12	ग्राम पंचायत की यात्रा	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 9 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उललेखित दिशा निर्देशानुसार
02	मई 2026	09, 10, 11 व 12	मस्ती, दोस्ती और मतदान–फिल्म प्रदर्शन	CEO-RJ की अधिकृत वेबसाइट पर स्वीप ELC-Repository में उपलब्ध **Masti, Dosti Aur Matdaan** Video Film का ICT Lab/ Smart Class/Smart Inter-Active Display के माध्यम से प्रदर्शन।
03	जून 2026		**कोई गतिविधि नहीं**	**ग्रीष्मावकाश के कारण**
04	जुलाई 2026	11 व 12	लोकसभा –2019 फिल्म प्रदर्शन	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 12 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार
		09	जागरूक मतदाता –कार्ड खेल	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 11 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार
05	**15.08.2026 (स्वतंत्रता दिवस)**	09, 10, 11 व 12	मतदाता शपथ	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता शपथ(हिन्दी / English)
	अगस्त 2026	09, 10, 11 व 12	निर्वाचित्र –फिल्म प्रदर्शन	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 9, 10, 11 व 12 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका मे उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार
		11	जनता के प्रतिनिधि बनें–कार्ड का खेल	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 11 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उललेखित दिशा निर्देशानुसार
		11	आदर्श मतदान	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 11 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उललेखित दिशा निर्देशानुसार
06	**08.09.2026 (विश्व साक्षरता दिवस)**	09, 10, 11व 12	निबंध लेखन प्रतियोगिता – शीर्षक –देश में मतदाता साक्षरता और जागरूकता क्यों जरूरी है।	निर्वाचन / शिक्षा विभाग द्वारा सथा समय जारी निर्देश / पत्रानुसार
	सितम्बर 26	10	नोटा	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 10 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उललेखित दिशा निर्देशानुसार
		10	मतदाता पंजीकरण–	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.31 21:47:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21349022

			गतिविधि	10 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उललेखित दिशा निर्देशानुसार
		11	चुनाव यंत्र और मतपत्र का निर्माण	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 11 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उललेखित दिशा निर्देशानुसार
		12	अपने उम्मीदवार को जानें	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 12 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उललेखित दिशा निर्देशानुसार
07	अक्टूबर 26	10	स्टेप अप	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 10 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उललेखित दिशा निर्देशानुसार
		12	फॉर्म –6 भरना और पंजीकृत होना	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 12 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उललेखित दिशा निर्देशानुसार
08	नवम्बर 26	12	शब्दों का खेल	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 12 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उललेखित दिशा निर्देशानुसार
	26.11.2026 (राष्ट्रीय संविधान दिवस)	9, 10, 11 व 12	विद्यार्थियों को प्रार्थना समय में उनके वोट देने के संवैधानिक अधिकार एंव नैतिक मतदान के बारे में जागरूक करना।	निर्वाचन /शिक्षा विभाग द्वारा यथासमय जारी निर्देश/पत्र अनुसार
09	**10.12.2026 (अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस)**	9, 10, 11 व 12	भाषण प्रतियोगिता **(शीर्षक वोट का संवैधानिक अधिकार एवं नैतिक मतदान का महत्व)**	निर्वाचन /शिक्षा विभाग द्वारा यथासमय जारी निर्देश/पत्र अनुसार
10	**25.01.2027 (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)**	9 व 10	विद्यालय में नाटक	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 9 व 10 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उललेखित दिशा निर्देशानुसार
		9 व 10	चित्र, पोस्टर और रंगोली बनाने की प्रतियोगिता	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 10 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उललेखित दिशा निर्देशानुसार
		11 व 12	वाद–विवाद प्रतियोगिता	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 11 व 12 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उललेखित दिशा निर्देशानुसार
		11 व 12	निबंध लेखन प्रतियोगिता	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 11 व 12 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उललेखित दिशा निर्देशानुसार
		9, 10, 11 व 12	मतदाता जागरूकता के	निर्वाचन /शिक्षा

RajKaj Ref No.: 21349022

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.31 21:47:10 IST
Reason: Approved

			संबध मे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	विभाग द्वारा यथासमय जारी निर्देश/पत्र अनुसार
	26.01.2027 (गणतंत्र दिवस)	9, 10, 11 व 12	मतदाता शपथ	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता शपथ(हिन्दी/English)
11	14.02.2027 (मातृ–पितृ पूजन दिवस)	9, 10, 11 व 12	पाती मां और पिता के नाम	निर्वाचन /शिक्षा विभाग द्वारा यथा संभव जारी निर्देश/पत्र अनुसार **14.02.2027 को रविवार होने के कारण दिनांक 13.02.2027 शनिवार को आयोज्य**
12	मार्च 2027		कोई गतिविधि नहीं	बोर्ड/स्थानीय परीक्षा के कारण
13	सत्र/वर्ष पर्यन्त चलने वाली गतिविधि	9, 10, 11 व 12	स्कूल ELC लोकतंत्र की दीवार गतिविधि	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा 9, 10, 11 व 12 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका मे उललेखित दिशा निर्देशानुसार
14	सत्र/वर्ष पर्यन्त चलने वाली गतिविधि	9, 10, 11 व 12	पुस्तकालय में Reading period के दौरान Election Corner में निर्वाचन साक्षरता एवं मतदाता जागरूकता संबंधी संदर्भो का पठन एवं वाचन	निर्वाचन /शिक्षा विभाग द्वारा यथा संभव जारी निर्देश/पत्र अनुसार
15	वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार समारोह, पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति बैठक, अभिभावक–शिक्षक बैठक, बालसभा, नो बैग डे एवं अन्य सामुदायिक सहभागिता वाले अवसर	9, 10, 11 व 12	मतदाता जागरूकता संबंधी नाटक मंचन अथवा कविता पाठन/गीत .	निर्वाचन /शिक्षा विभाग द्वारा यथा संभव जारी निर्देश/पत्र अनुसार
		9, 10, 11 व 12	मतदाता शपथ(हिन्दी/अंग्रेजी)	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता शपथ (हिन्दी/English)

नोट–चिन्हित गतिविधियों के आयोजन की दिनांक एवं दिवस स्कूल शिक्षा विभाग /स्थानीय विद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र में उक्त माह की निर्धारित अन्य शैक्षणिक, सह शैक्षणिक गतिविधियों, अवकाश, दिवाली/शीतकालीन अवकाश इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किये जावें, जिससे विद्यार्थियों का अध्ययन सुचारू रूप से संचालित हो। क्रमशः उक्त स्कूल ELC गतिविधियों के अधिकतम परिणाम की सुनिश्चितता हेतु यथासंभव विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) बैठक, अभिभावक–शिक्षक बैठक(PTM), बालसभा, नो बेग डे (No Bag Day)एवं अन्य सामुदायिक सहभागिता वाले अवसरो के साथ आयोजित किये जाने को प्राथमिकता दी जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.31 21:47:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21349022